दौराने बहस व्यक्त की। तहसीलदार जायल को माफिक वादपत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर मनन यिका गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सिपीसी व वादपत्र में प्रस्तुत संशोधित शिर्षक आदी दस्तावेजात को अवलोकन किया गया। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.02.2023 में आपसी सहमति के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 से 4 क्रमशः टीकमचन्द, रतनलाल, लीला व सोनु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 1648 रकबा 1.3112 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ रकबा 0.5018 हैक्टेयर (3 बीघा 02 बिस्वा) हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 क्रमाशः मुकेश व मदनराम के सह हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 1642 रकबा 1.2221 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 1648 रकबा 1.3112 हैक्टेयर में से पश्चिमि तरफ रकबा 0.8094 हैक्टेयर (5 बीघा) नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

माफिक राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 07.03.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner